संख्या-37/2021/ 1325 ई-2/तेरह-2021-229885

प्रेषक,

उमेश कुमार तिवारी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश,
प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊःदिनांकः22 जुलाई, 2021

विषय- मेसर्स डालमिया चीनी मिल्स,(आसवनी इकाई) जवाहरपुर, जनपद-सीतापुर की क्षमता 120 कि.ली. प्रतिदिन से बढ़ाकर 200 कि.ली. प्रतिदिन किये जाने हेतु प्राप्त अनुमति के अन्तर्गत् बढ़ी हुयी क्षमता 80 कि.ली. प्रतिदिन के अंतर्गत शीरे के साथ-साथ दोहरी फीड अर्थात अनाज (ग्रेन) से भी एथनॉल उत्पादन किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं.-जी-08/दो-प्रा.डी.-107/दिनांक 25 मई 2021 तथा इस सम्बन्ध में अपर मुख्य सचिव, आबकारी विभाग,उ.प्र.शासन की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 08.07.2021 में लिये गये निर्णय से सम्बन्धित निर्गत कार्यवृत्त पत्र संख्या-1289ई-2/तेरह-2021, दिनांक 20.07.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उपर्युक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव एवं समिति द्वारा की गयी संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य के औद्योगिक एवं राजस्व हित में मेसर्स डालमिया चीनी मिल्स, (आसवनी इकाई) जवाहरपुर, जनपद सीतापुर में स्थापित किये जा रहे 80 कि.ली. प्रतिदिन क्षमता के शीरे पर आधारित प्लान्ट को दोहरी फीड अर्थात् शीरे के साथ-साथ अनाज से भी एथनॉल उत्पादन किये जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती हैः-

(1) आसवनी को दोहरी फीड के आधार पर एथनॉल उत्पादन के परिप्रेक्ष्य में प्लान्ट चलाये जाने से पूर्व उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्रदूषण भार में वृद्धि नहीं का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा तथा आसवनी द्वारा समस्त आवश्यक पर्यावरणीय तथा अन्य सांविधिक शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

(2) इकाई द्वारा अनाज से एथनॉल उत्पादन के परिपेक्ष्य में प्रयोग में लाये जाने वाले अनाज व अन्य पदार्थ की आपूर्ति को सुगम करने व अंतर्विभागीय सामंजस्य तक स्थापित करने उत्पादनकर्ताओं की कठिनाईयों का संज्ञान उन्हें दूर किये जाने हेतु शासनादेश संख्या-33/ 2021-810ई-2/तेरह-2021-107/2013 दिनांक 26.03.2021 में प्राविधानित स्टीयरिंग कमेटी द्वारा निर्णय लिया जायेगा। उक्तानुसार अनाज व अन्य पदार्थो की आपूर्ति के परिपेक्ष्य में स्टीयरिंग कमेटी द्वारा यथास्थिति

मानव उपयोग व पशु उपयोग हेतु वांछित अनाज व अन्य पदार्थों की प्रदेश की वार्षिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन प्रश्नगत इकाई को करना होगा।

(3) इकाई द्वारा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (जी.एम.पी.) का अनुपालन करते हुए उत्पद्दन सुनिश्चित किया जायेगा।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(उमेश कुमार तिवारी)

उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

http://shasanadesh.up.gov.in